न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 141/2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. दिलीपदास पुत्र सांवरदास
2. सुनील पुत्र सांवरदास
3. पदमा देवी पुत्री सांवरदास
4. रेखा देवी पुत्री सांवरदास
5. सुनीता पुत्री सांवरदास जातिगण वैष्णव निवासीगण रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे, श्री जय तंवर, श्री तरूण मेवाड़ा अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

दिनांक :— 24/05/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्व0 सांवरदास पुत्र नाथुदास के खातेदारी हक हकूक की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास, प0ह0 रेपड़ावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तह0 सोजत के नया खाता सं0 118, पुराना खाता सं0 124 के ख0नं0 283, 421, 509, 786, 787 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.2800 है0 तथा इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास, प0ह0 चाड़वास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाडवास तह0 सोजत के नया खाता सं0 163, पुराना खाता सं0 156 के ख0नं0 746, 749 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2600 है0 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता सांवरदास का 1/4 हिस्सा खातेदारी हक हकूक का था। वादीगण के पिता सांवरदास एवं वादीगण की माता सिपू देवी की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके खातेदारी हक बतौर विधिक उत्तराधिकारी वादीगण को प्राप्त हैं। वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम तमाम दस्तावेजों आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड में सांवरदास पुत्र नाथुदास अंकित है, लेकिन वादीगण के दादा नाथुदास का फौतेदगी नामा0 भरते समय बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये राजस्व अधिकारियों ने पैन ऑफ मिस्टेक से वादीगण के पिता का नाम सांवरदास की जगह श्यामदास अंकित कर दिया, जबकि ग्राम, परिवार सभी जगह वादीगण के पिता को सांवरदास नाम से ही जानते है, ऐसी परिस्थितियों में वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में श्यामदास पुत्र नाथुदास की जगह दुरूस्त कराते हुये सांवरवास पुत्र नाथुदास अंकित कराये, तदर्थ वादीगण यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करते है। वादग्रस्त कृषि भूमि क व ख में वादीगण के पिता सांवरदास एवम् वादीगण की माता सिपू देवी की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके खातेदारी हक बतौर विधिक उतराधिकारीगण वादीगण को बराबर बराबर प्राप्त हुये है, इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/20—1/20 खातेदारी हक हिस्सा बनता है, जिसको प्राप्त करने के वादीगण

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

अधिकारीणी है, ऐसी परिरिथतियो में वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि सांवरदास पुत्र नाथुदास की जगह स्वयं को खातेदार घोषित करवाये, तदर्थ वादीगण यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का श्री श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करते है। वादीगण की इरतदुआ है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि क व ख के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम श्यामदास पुत्र नाथुदास की जगह दुरुस्त करते हुये सांवरदास पुत्र नाथुदास अंकित किया जावे एवम् वादीगण को सांवरदास पुत्र नाथुदास की जगह खातेदार घोषित किया जावे।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया जाता हैं।

वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत के पत्रांक/रीडर/2025/451 दिनांक 25.03.2025 के जरिये प0ह0 रेपड़ावास तथा प0ह0 चाड़वास से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पेश की, जिसका संक्षिप्त सार यह है कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर श्यामदास व सावतदास दोनो एक ही व्यक्ति है तथा श्यामदास पुत्र नाथुदास की मृत्यु हो चुकी हैं। वादग्रस्त भूमि के मौके पर श्यामदास की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशान का ही कब्जा काश्त हैं। जबकि राजस्व रेकर्ड में श्यामदास पुत्र नाथुदास दर्जसुदा हैं तथा अन्य दस्तावेजों में सांवरदास पुत्र नाथुदास दर्ज हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार वादी का नाम श्यामदास पुत्र नाथुदास के स्थान पर सांवरदास पुत्र नाथुदास की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रेपड़ावास, चाड़वास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा सरपंच, ग्राम पंचायत रेपड़ावास के प्रमाण पत्र के आधार पर श्यामदास पुत्र नाथुदास तथा सांवरदास पुत्र नाथुदास दोनो एक ही व्यक्ति होने की संपुष्टि होती हैं। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2075—78 में ग्राम रेपड़ावास के ख0नं0 283, 421, 509, 786, 787 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.2800 है0 श्यामदास पुत्र नाथुदास हि0 दर्ज सुदा है, इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 ग्राम धागड़वास ख0नं0 746, 749 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2600 है0 के राजस्व रेकर्ड में श्यामदास पुत्र नाथुदास हि0 1/4 दर्ज सुदा हैं। जबकि वादीगण के पिता के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड सं0 7679 4942 7940, मतदाता पहचान सं0 RJ/21/161/075122, परिवार राशन कार्ड सं0 200003194502, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में सांवरदास पुत्र नाथुदास दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत रेपड़ावास का प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वास्तविक व सही नाम श्यामदास पुत्र नाथुदास नहीं होकर सांवरदास पुत्र नाथुदास होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नाम श्यामदास पुत्र नाथुदास के स्थान पर सांवरदास पुत्र नाथुदास को खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास, प0ह0 रेपड़ावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तह0 सोजत के नया खाता सं0 118, पुराना खाता सं0 124 के ख0नं0 283, 421, 509, 786, 787 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.2800 है0 तथा इसी प्रकार सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास, प0ह0 चाड़वास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाडवास तह0 सोजत के नया खाता सं0 163, पुराना खाता सं0 156 के ख0नं0 746, 749 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2600 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम श्यामदास पुत्र नाथुदास के स्थान पर वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सांवरदास पुत्र नाथुदास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर सांवरदास पुत्र नाथुदास के विधिक वारिसान कीजांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)